

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या-496/2019

(1)

प्रथम पक्ष :- 1. योगेन्द्र मिश्रा पे० स्व० भुवनेश्वर मिश्रा सा० तांतरी थाना - जरीडीह जिला - बोकारो।

- बनाम -

द्वितीय पक्ष :- 1. ओम प्रकाश मिश्रा, 2. वेद प्रकाश मिश्रा 3. जय प्रकाश मिश्रा सभी पिता स्व० उपेन्द्र मिश्रा सभी सा० तांतरी थाना - जरीडीह जिला - बोकारो।

कार्यवाही

थाना प्रभारी बालीडीह के अप्राथमिकी संख्या-10/2019 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी बालीडीह थाना से अग्रसारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम	पुलिस थाना का नाम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
मानगो	बालीडीह	98	595 एवं 596	7¼ डी०

चौहद्दी

उत्तर:- कुरबीन मियों बगैरह का जमीन।

दक्षिण :- प्रथम पक्ष के खरीदगी जमीन।

पूरब:- कुरबीन मियों का जमीन उसके वाद निरंजन मिश्रा का धर।

पश्चिम:- प्रथम पक्ष का पैतृक सम्पत्ति।

अतः सम्यक विचारोपरान्त द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 28.11.19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

28/11/19 खजाना का मामला प्राप्त।

प्रथम पक्ष के खजाने हैं तथा 51C हेतु

खजाना का आवेदन है

द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य वगैरे खजाने हैं

तथा 51C शामिल किया गया।

दिनांक 7/12/19 को रद

S.D.M
Chas

7/12/19 प्रथम पक्ष के एक सदस्य का छोड़ने है
 S/L हेतु खर्च का आवेदन है
 द्वितीय पक्ष के एक सदस्य का छोड़ने है
 दिनांक 26/12/19 को शुरू

S.O.M
 Chas

26/12/19 प्रथम पक्ष के छोड़ने है S/L हेतु खर्च
 का आवेदन है पुनः S/L डाकिल एवं कागजात की दृष्टि
 द्वितीय पक्ष के ~~सदस्य~~ सदस्य का छोड़ने है।
 next hearing postponed onto next date. 06 Jan 2020

S/O.S
 26/12/19.

6/1/2020 द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का छोड़ने है तथा लिखित बहस
 दाखिल।
 प्रथम पक्ष के छोड़ने है।
 दिनांक 8/1/2020 को शुरू

8/1/2020 द्वितीय पक्ष के छोड़ने है
 प्रथम पक्ष के छोड़ने है।

S.O.M
 Chas

1st party

- land dispute.
- apprehension of for breach of peace. - police report.
- document - sale deed - registered. - in the name of 1st party.
- Rent Receipt. in name of 1st party.

595/596.

2nd party

- Khata no. 98, 597/598. -
- claim of

की
 व्या
 त्तरीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

 आदेश पर की गई
 कार्यवाही के बारे में
 रिपोर्ट
 तारीख के साथ

- Both the parties can proceed v/s 107 if condition of breach of peace continues.
- ~~if the parties feel they are being harassed~~ Both the parties can proceed to civil court for decision on the rightful title over disputed plots of land.
- Both parties can avail the services of Ameen by requesting CO, Chas to demarcate plots in case of dispute arising out of demarcation.
- Restrictions imposed v/s 144 is uplifed

 S/S-
 8/1/20

 02 set of copies
 14/1/20